

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग -दो

शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी, 2021 (माघ 2, 1942)

माननीय डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य एवं माननीय श्री धर्मजीत सिंह,
सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायपुर की ओर से यह सूचना दी गई है कि -

मुझे आपको यह सूचना देनी है कि भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन छत्तीसगढ़ विधान सभा की माननीया डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य तथा माननीय श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य को दिनांक 17.01.2021 को अपराहन 2:45 बजे गिरफ्तार कर अस्थाई जेल बुधवारी बाजार, बीरगांव, रायपुर में रखा गया तथा दिनांक 17.01.2021 को ही अपराहन 2:50 बजे रिहा कर दिया गया।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.